बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या–15/आरोप (बक्सर) 02–09/2021– (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–.......

श्री अमलेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजपुर, बक्सर के विरूद्ध मौजा–हरपुर, खाता सं0–354, खेसरा सं0–145, रकवा–3.65 एकड़ बिहार सरकार पोखरा का जमाबंदी निजी व्यक्ति श्री विश्वनाथ सिंह के नाम से सृजित कर दिये जाने का आरोप प्रतिवेदित है।

2. उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प सं0–510(15), दिनांक–09.08.2021 से श्री कुमार को निलंबित करते हुए इनका मुख्यालय– आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना निर्धारित किया गया।

3. जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–01–1656अनु0/स्था0, दिनांक–18.08.2021 से उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोपों को गठित करते हुए साक्ष्य सहित आरोप पत्र विभाग को उपलब्ध कराया गया।

4. प्रतिवेदित आरोपों के आलोक में विभागीय पत्रांक–804(14), दिनांक–05.11.2021 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में इनके द्वारा स्पष्टीकरण दिनांक–07.12.2021 विभाग में समर्पित किया गया है।

5. गठित आरोपों के संबंध में समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं0–166(14), दिनांक–24.02.2022 द्वारा अपर समाहर्त्ता, बक्सर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

6. विभागीय कार्यवाही के संचालन में हो रहे विलम्ब एवं आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प सं0–943(15), दिनांक–15.05.2023 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया।

7. अपर समाहर्त्ता–सह–संचालन पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक–03–3106/रा0, दिनांक–20.10.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में अंशतः प्रमाणित आरोपों के लिए समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा/अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं0–744(15), दिनांक–29.04.2024 द्वारा श्री अमलेश कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, राजपुर, बक्सर सम्प्रति चकबंदी पदाधिकारी, बक्सर सदर को **"निन्दन"** (आरोप वर्ष–2020) का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की गयी।

8. अतएव निलम्बन अवधि (दिनांक–09.08.2021 से 15.05.2023) की सेवा विनियमन हेतु श्री कुमार से प्राप्त अभ्यावेदन दिनांक–25.09.2025 पर सम्यक् विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(4) के निहित प्रावधानों के आलोक में इन्हें निलम्बन अवधि (दिनांक–09.08.2021 से 15.05.2023) के लिए जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा तथा **उक्त अवधि की सेवा को सभी प्रयोजनार्थ विनियमित किया जाता है एवं उक्त निलंबन अवधि सेवानिवृत्ति उपरान्त लाभों/पेंशनादि के प्रयोजनार्थ गणनीय होगी।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ई–मेल/
स्पीड–पोस्ट

ज्ञापांक–15/आरोप (बक्सर) 02–09/2021–..............................(15)/रा0, पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, बक्सर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बक्सर/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल प्रति में)/श्री अमलेश कुमार, चकबंदी पदाधिकारी, बक्सर सदर, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2025_jiten\Viniyaman Sankalp_25\Amlesh kr CO_(Rajpur_buxar).doc

ज्ञापांक–15/आरोप (बक्सर) 02–09/2021–.............89............ (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–..16/01/26

प्रतिलिपि :– माननीय उपमुख्यमंत्री–सह–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/अपर सचिव, प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3/आई0टी0/ मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/01/26

(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2025_jiten\Viniyaman Sankalp_25\Amlesh kr CO_(Rajpur_buxar).doc